

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 14- जनवरी, 2019

विषय :- जनपद सोनभद्र में हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि० (रेनुसागर पावर डिवीजन) रेनुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे० आरक्षित वन भूमि के पट्टे का 25 वर्षों के लिये लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं०-794/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/18048/2016 दिनांक 11.10.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि जनपद सोनभद्र में हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि० (रेनुसागर पावर डिवीजन) रेनुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे० आरक्षित वन भूमि के पट्टे का 25 वर्षों के लिये लीज नवीनीकरण से सम्बन्धित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में विगत लीज डीड सम्पादित होने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। अतएव निम्न बिन्दुओं पर लीज डीड सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. प्रसंगत आरक्षित वनभूमि (94.50 एकड़) सर्व प्रथम शासनादेश दिनांक 09.02.1966 के माध्यम से दिनांक 09.02.1966 के माध्यम से दिनांक 08.02.1991 तक 25 वर्षों की लीज पर कतिपय शर्तों के साथ दी गयी थी तथा लीज डीड की कार्यवाही सम्पादित की जानी थी।
2. उक्त भूमि (38.2591 हे०) का शासनादेश दिनांक 22.05.1998 के माध्यम से दिनांक 09.02.1991 से 08.02.2016 तक 25 वर्ष की लीज का नवीनीकरण पुनः कतिपय शर्तों सहित दी गयी तथा लीज डीड की कार्यवाही सम्पादित की जानी थी।

कृपया अवगत कराया जाय कि उक्त वर्णित लीज डीड की कार्य पूर्ण करा ली गयी ? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय, यदि नहीं तो सुसंगत प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

(मनोज-कुमार सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-1403/11-सी-एफपी/UP/Trans/18048/2016, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 15, 2018

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के उपरोक्त वांछित बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के उपरोक्त वांछित बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- सहायक महाप्रबन्धक, मै० हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।